छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 21/6/05

क्रमांक एफ–20–95/04/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी " **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2004**" निम्नानुसार लागू करता है ।

1 **परिचय :–**

गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना (आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या समान राष्ट्रीय /अन्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण)के कियान्वयन हेतु **"छत्तीसगढ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004"** बनाये गयें हैं जो सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01–11–2004 से प्रभावशील माने जावेंगे ।

2 **परिभाषाएंः–**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट अति वृहद उद्योग, वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी" तथा "राज्य के मूल निवासी" की वही परिभाषाएं होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अघोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004 में दी गई हैं।

3 **पात्रताः–**

(1) औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले राज्य में स्थापित समस्त नवीन औधोगिक इकाईयों को "गुणवत्ता प्रमाणीकरण" के तहत आई0एस0ओ0–9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0–18000 या समान राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) औधोगिक इकाईयों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक/ अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा, निर्धारित कालावधि के पश्चात किये गये आवेदन पर अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(3) भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(4) उद्योग में गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के दिनांक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से, जो पश्चातवर्ती हो, योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अथवा किसी अन्य मंत्रालय / वित्तीय संस्था से गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्रता नही हागी ।

(6) गुणवत्ता प्रमाणीकरण में सम्मिलित समस्त प्रमाणीकरण प्रमाण पत्रों पर पृथक–पृथक अनुदान की पात्रता होगी ।

(7) जिन उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं

हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा / औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–5 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4 **अनुदान की मात्राः–**

औद्योगिक इकाई द्वारा आई0एस0ओ0–9000,आई0एस0ओ0–14000 आई0 एस0 ओ0–18000 या समान राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय तथा एफ.डी.आई. निवेशकों को 55 प्रतिशत) अधिकतम रूपये 75,000 (प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु) का अनुदान गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध कराया जावेगा ।

गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/ निर्धारण शुल्क/ वार्षिक शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नही किया जावेगा)।

5 **प्रकिया व अधिकार :–**

5.1– औधोगिक इकाईयों को उपाबंध–1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध 5 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(1) वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) उपाबंध–2 में निर्धारित प्रारूप पर चार्टड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र

(4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र– आई0एस0ओ0 9000 / आई0एस0ओ 14000 / आई0एस0ओ 18000 या अन्य समान राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के समतुल्य प्रमाण पत्र की प्रति

5.2– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

5.3– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा, प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण "उपाबंध 3" के अनुसार कराकर "स्वत्व" के नियमों के अधीन होने पर "उपाबंध–4" में निर्धारित प्रारूप पर "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के "निरस्तीकरण" का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवसों में किया जावेगा ।

5.4– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के कम में किया जावेगा ।

5.5– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

6 **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वसुली :–**

6.1– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान

की पूर्ण राशि मय ब्याज, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी। ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा ।

6.2 – महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नही पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

6.3 – औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 3 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी ।

7 **अपील / वाद :–**

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब और अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार भी होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

2– नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

8 **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

9 **कार्यकारी निर्देश :**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

10 **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. नोट कमांक 822 दिनांक 27.05. 2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर

उपाबंध–1
(नियम 5.1)
(छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –
दूरभाष – मोबाईल – फैक्स –
2– फैक्ट्री स्थल–
स्थान –
विकास खंड –
जिला –
3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन क्रमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–
4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –
5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –
6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण–
7– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किया गया व्यय–
8– क्लेम राशि
9– रोजगार

क्र0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

घोषणा–पत्र

मै...................................... आत्मज................................ प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई .... है व फैक्ट्री.................. में ....जिसका पंजीकृत पता .... स्थित है व स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ है, निम्नानुसार घोषणा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई द्वारा आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या.. .... प्रमाणीकरण प्राप्त किया है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / वित्तीय संस्थानों की किसी योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं किया है

या

आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या .... प्रमाणीकरण प्राप्त करने उपरांत भारत सरकार .... / वित्तीय संस्थाओं से रू. .... अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं ।

3– आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है ।

या

आई0एस0ओ0–9000/ आई0एस0ओ0–14000 /आई0 एस0 ओ0–18000 या अन्य प्रमाणीकरण प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन दिया है व भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं से यदि मेरे द्वारा भविष्य में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो उसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी ।

4– उपरोक्त जानकारी गलत होने /तथ्यों को छुपाया पाये जाने /जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता.
सील

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

प्रारूप

"उपाबंध–2"

(नियम 5.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ है, ने गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र कमांक.. दिनांक............................... प्राप्त किया है जिस पर दिनांक...... ....तक किया गया व्यय रूपये................................(अक्षरों में)........................... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है

क0	विवरण गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किया गया व्यय	प्रमाणन एजेंसी/ संस्था जिसे भुगतान किया गया है	व्यय की गई राशि	भुगतान की गयी राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			
3	वार्षिक शुल्क			
4	लायसेंस शुल्क			
5	प्रशिक्षण व्यय.			
6	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
7	अन्य व्यय			
8	निर्धारण शुल्क			
	योग			

स्थान :

दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

मेम्बरशिप कमांक

"उपाबंध 3"
(नियम 5.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

2– फैक्ट्री स्थल –

स्थान –

विकास खंड –

जिला –

3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक–

4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –

5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी विवरण–

7– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।

8– रोजगार संबंधी टीप :

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये गुणवत्ता..................................पर की गई व्यय राशि ....
......में रू.................... मान्य है । अमान्य की गई राशि............... है व उसके कारण निम्नानुसार है :–

1–
2–
3–
4–

4– अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के
हस्ताक्षर
नाम
पद

स्थान :
दिनांक

उपाबंध–4
(नियम 5.3)
गुणवत्ता प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004** के नियम कमांक "5.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (आई0एस0 9000 / आई0एस0ओ0 14000 / आई0एस0ओ0 18000)** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप :

3– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकास खंड व जिला)

6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर किया गया अनुमोदित व्यय

7– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

8– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80) सामान्य (800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)
(4826)–आई0एस0ओ0 9000 के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति
13– आर्थिक सहायता 001– प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

''उपाबंध–5''
(नियम 5.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला................................
छत्तीसगढ़

मेसर्स ....
.... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम 2004 पता...
.... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.................... (अक्षरी).. ....
का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें । को प्राप्त हुआ है । प्रकरण

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स...
....
....